केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY
हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद - 500004
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD - 500004
Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204
e-mail: cgst.hydcommr@gov.in, cgst.hydcca@gov.in

File No.: II/(31)/128/2023-CCA-O/o Pr COMMR-CGST-HYDERABAD **दिनांक** Date: 01/12/2023

स्थापना आदेश (गैर राजपत्रित) सं. 153/2023
ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) No. 153/2023

विषय -:स्थापना – केन्द्रीय कर के आशुलिपिक (ग्रेड – I) संवर्ग में अनंतिम नियुक्ति एवं तैनाती – संबन्धित ।
Sub: Estt. – Provisional Appointment and Posting in the cadre of Stenographer (Grade-I) of Central Tax - Regarding.

*****

बोर्ड के पत्र F.No.A-12034/SSC/6/2022-Ad.III(B), दिनांक 12.09.2023 के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड ग और घ की परीक्षा के परिणामों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिक (ग्रेड– I) के पद के लिए नामित निम्नलिखित उम्मीदवार को केन्द्रीय कर, हैदराबाद / विशाखपट्टनम क्षेत्रों के साझा संवर्ग में, आशुलिपिक (ग्रेड– I) के पद पर, अस्थायी रूप में, सातवे वेतन आयोग के वेतन मट्रिक्स लेवल – 6 में प्रवेशिक वेतन रु॰ 35400/- [संशोधन पूर्व वेतनमान रु॰ 9300-34800 के वेतनमान में, पे-बैंड- 2 के अंतर्गत रु॰ 4200/- के ग्रेड-पे] में आशुलिपिक - I संवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्तों के साथ, नियुक्त किया जाता है । यह अनंतिम नियुक्ति आबंटित क्षेत्र में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की तिथि से प्रभावी होगी ।

The following candidate nominated by the Staff Selection Commission on the basis of result of Stenographer Grade 'C' & 'D' Examination, 2022 for the post of Stenographer (Grade-I) of Central Tax in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zones is hereby appointed provisionally as Stenographer (Grade–I) as per Board's letter F.No.A-12034/SSC/6/2022-Ad.III(B), dated 12.09.2023 and until further orders in the entry pay of Rs. 35400/- in pay matrix Level – 6 of 7th CPC [pre-revised pay scale of Rs.9300-34800, under PB 2 with Grade Pay of Rs.4200/-] and such dearness and other allowances as admissible to the cadre of Stenographer (Grade-I) from time to time. This provisional appointment shall take effect from the date on which he reports to duty.

क्र सं Sl. No.	उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमती/कु॰ Name of the candidate Shri/Smt./Kum.	चयनित श्रेणी Category Selected	जन्मतिथि Date of Birth	डीजीएचआरडी आदेश सं DGHRD Order No.	आवंटित किया गया जोन Zone Allotted
1	MOHD FAHEEM	OBC	05-03-1997	Hyderabad GST & CX/CCO & CCA/STENOGRAPHER-I/ 89090	HYDERABAD

2. उम्मीदवार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के आशुलिपिक ग्रेड-I [वर्ग – ख (गैर राजपत्रित) पद] भर्ती नियमावली, 2015, (यथासंशोधित) एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित होंगे ।

The Candidate will be governed by the provisions of the Central GST and Customs Department Stenographer Grade-I [Group B, Non-Gazetted Posts] Recruitment Rules, 2015 (as amended) and Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964, as amended.

3. उम्मीदवार कार्यग्रहण की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । सक्षम अधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि उम्मीदवार द्वारा दिए गए तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं है तथा परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और पुष्टीकरण के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन, अनंतिम नियुक्ति की पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा।

The candidate shall be on probation for a period of two years from the date of his joining, the period of which can be extended at the discretion of the Competent Authority. On receipt of verification reports that there are no objections on the facts given by the candidate, subject to completion of the probation period satisfactorily and passing the Departmental Examination for confirmation, the provisional appointment will be considered for confirmation.

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(2)(ए) के अनुसार उम्मीदवारों की सेवाएँ, दोनों पक्षों की ओर से एक महीने के नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समापनीय होंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को तत्काल या नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उनकी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

The candidate's services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Rule 5(2)(a) of Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating his services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice.

5. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबन्धित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, the candidate is governed by the rules and the orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.

6. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा या इस प्रभाव के सत्यनिष्ठा अभिकथन देना होगा।

On joining the post, the candidate will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India or has to make a solemn affirmation to that effect.

7. यदि वे स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या उन्होंने तीन वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

The candidate will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless he is permanent Government servant or has completed three years of temporary service.

8. भारत सरकार के अधीन में भर्ती के लिए लागू उपयुक्त नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जो, एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे आदेश देने के विशेष कारण हैं ।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह से समय जीवित हो, नियुक्ति की पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी है।

b) No such woman whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

9. अतः यह अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें । अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का

अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाए तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह अनंतिम निर्णय किया जाता है कि उन्हें केन्द्रीय कर के आशुलिपिक – I पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएँ तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।

This offer of provisional appointment is, therefore, conditional upon the candidate's satisfying the requirements mentioned. In case, he doesn't fulfill the above conditions and he desires to be exempted from the above mentioned rules for any reason, he should make a representation in this behalf immediately. This offer of provisional appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to him in due course if upon consideration of his representation, it is decided to offer him appointment to the post of Stenographer (Grade – I) of Central Tax.

10. तेलंगाना/ आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्रों के आशुलिपिक – I के साझा संवर्ग में उनकी परस्पर-वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी।

His inter-se-seniority in the common cadre of Stenographer (Grade-I) of Hyderabad/Visakhapatnam Zone in the State of Telangana/Andhra Pradesh will be fixed according to the orders in force.

11. उम्मीदवार को किसी भी समय तेलंगाणा /आंध्रप्रदेश के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तेलंगाणा /आंध्रप्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी तैनाती से संबन्धित किसी भी निवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

The candidate is liable to be transferred anywhere within Cadre Control jurisdiction of Telangana/Andhra Pradesh at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana/A.P. will be entertained.

12. उम्मीदवार जब कभी अपनी धार्मिक आस्था बदलते हैं तो इसकी सूचना तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को दें।

The candidate should intimate the appointing authority as and when he changes his religious faith.

13. अगर उम्मीदवार रोजगार हेतु पहले ही किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन दे चुके हैं / परीक्षा में बैठ चुके हैं तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए। विभाग प्रमुख को आवेदन पत्र को आगे अन्य सरकारी कार्यालयों को या अन्यत्र कहीं अग्रेषित करने या रोककर रखने का पूर्ण अधिकार होगा।

The candidate should also intimate at the time of reporting for duty, if he had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of his applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

14. यदि उम्मीदवार केन्द्र / राज्य सरकार / भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रित या स्वामित्व वाले या राज्य सरकार के किसी उपक्रम /स्वायत्त संस्था/ विश्वविद्यालय / स्वतंत्र निकाय में कार्यरत है तो उन्हें संबन्धित नियोक्ता से प्राप्त उचित कार्यमुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

If candidate is employed with Central/State Government / an Undertaking owned by or controlled by the Government of India or a State Government / an Autonomous Body / University / Local Body, he should produce proper relief report from the employer concerned.

15. यदि उम्मीदवार पद त्यागने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपने इस अभिप्राय के विषय में एक माह पूर्व नोटिस देना होगा और केंद्रीय शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर वे प्रासंगिक नियमों में उल्लेखित अर्थदण्ड के उत्तरदायी होंगे।

If candidate desires to resign, he should give one month notice in advance about his intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Central Tax. Failure to do so will render him liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

16. यदि उम्मीदवार के पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड (X.10) है, तो ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय उसे संबन्धित नियोक्ता/ प्रशासनिक प्राधिकरण को अभ्यर्पित करना होगा।

The candidate should surrender his Employment Registration Card (X.10) held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of reporting for duty.

17. यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का दावा करता है, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप (यथा संशोधित एम एच ए ओ एम संख्या 42/21/49-NGS दिनांक 28.01.1952 में यथा निर्धारित, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94-Estt (Res) दिनांक 02.07.1997 में यथा प्रयोज्य), में उल्लेखित किसी भी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वे नोट करें कि उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित माध्यमों द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है, और यदि उनके अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का या क्रीमी लेयर के न होने का दावा झूठा पाया पाया जाता है, तो उनकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताए और भारतीय दंड संहिता में झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दी जाएंगी। उन्हें नियुक्ति के पश्चात अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी, यदि कोई हो तो, तत्काल ही संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारियों को देनी चाहिए।

If candidate claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes, he has to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A.O.M No. 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended /DOPT O.M. No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue authorities mentioned therein. He should note that his appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or the candidate do not belong to such category and the certificate is found to be false, his services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. He should also intimate the change, if any, of his religion, after appointment, immediately to the Appointing/ Administrative Authorities concerned.

18. यदि उम्मीदवार के द्वारा की गई घोषणा या प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है तथा उनके द्वारा जानबूझकर किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया जाता है तो वे सेवाओं से हटाए जाने के और सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली किसी कानूनी / आपराधिक कार्यवाही के उत्तरदाई होंगे।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false and if he is found to have willfully suppressed any marital information, he will be liable for removal from service and other legal/criminal action will also be taken which Government may deem necessary.

19. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र, पिछले कार्यस्थल की संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में अनंतिम नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक / कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

This offer of appointment is purely provisional/temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities, Caste certificate from the concerned issuing authority, verification of certificate of education issued by the University/Competent Authority, Vigilance Clearance Certificate issued by concerned authority at previous working place. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken, as a consequence.

20. उक्त उम्मीदवारों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1-खंड 1, दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ 5/7/2003-ईईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी। सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी त्यागपत्र देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The candidate will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003- published in Gazette of India, Extraordinary, Part I- Section I. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

21. यदि उम्मीदवारों को उपरोक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं तो **29.12.2023 को या उससे पहले**, हैदराबाद क्षेत्र को आवंटित किए गए उम्मीदवारों को, अपर आयुक्त (सं॰नि॰प्रा॰), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय के समक्ष ड्यूटी के लिए अपने मूल शैक्षिक/जाति/दिव्यांग प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। यदि वे नियत तिथि पर या उससे पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करते तो यह नियुक्ति आदेश, उन्हें बिना कोई संदर्भ देते हुए, रद्द समझा जाएगा । तैनाती स्थान पर कार्य ग्रहण करने हेतु उन्हें कोई भी यात्रा या अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।

The candidate allotted to Hyderabad Zone should report for duty before the Additional Commissioner (CCA) Hyderabad GST Commissionerate **on or before 29.12.2023** along with original Education/Caste/PH certificates, if the above terms and conditions of appointment order are acceptable to him. If he fails to report for duty on or before the stipulated date, this appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to him.

22. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
This order is issued with the approval of the Competent Authority.

(बी. रघु किरण B. RAGHU KIRAN)
अपर आयुक्त (सं॰नि॰प्रा॰)
ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

प्रति To
संबन्धित व्यक्तियों को The Individuals

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy submitted to:

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र।
The Chief Commissioner, Customs, Central Tax, Hyderabad Zone.

2. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय कर, विशाखपट्टणम क्षेत्र।
The Chief Commissioner, Customs, Central Tax, Visakhapatnam Zone.

प्रतिलिपि Copy to:

1. नोटिस बोर्ड / स्टॉक फ़ाइल ।
Notice Board/Stock File.

2. कंप्यूटर अनुभाग को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
Computer Section for uploading in Official Website.